KIRAN KUMAR JANGADE
Digitally signed by KIRAN KUMAR JANGADE
Date: 2022.10.12 11:11:45 +0530

न्यायालय–प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रायगढ (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी–किरण कुमार जांगड़े)

जमानत आवेदन क्रमांक– 718 /2022

अपराध क्रमांक–1225/2022

थाना–सिटी कोतवाली,

जिला–रायगढ़ (छ०ग०)

रोहन शर्मा पिता– श्री दीनदयाल शर्मा,

उम्र–28 वर्ष, निवासी–101, गोकुलधाम

तहसील व जिला–रायगढ (छ०ग०) ...**आवेदक/अभियुक्त**

// विरूद्ध //

छ०ग० शासन,

द्वारा–आरक्षी केन्द्र थाना–कोतवाली,

जिला रायगढ़ (छ०ग०) ...**अनावेदक/अभियोगी**

अंतर्गत धारा–439 द०प्र०सं०

06–10–2022 **माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के अवकाश में होने पर कार्य विभाजन के आधार पर यह जमानत आवेदन पत्र विधिवत निराकरण हेतु अंतरण पर प्राप्त।**

जमानत प्रकरण पंजीबद्ध किया जावे।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्रीमती शारदा मुलिक, अधिवक्ता।

राज्य द्वारा श्री मनोज पटनायक, ए०जी०पी० उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके अधिवक्ता के द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–439 द०प्र०सं० पेश कर निवेदन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध थाना–सिटी कोतवाली, जिला–रायगढ़ के अपराध क्रमांक–1225/2022, अंतर्गत धारा–420,467,468, 471, 406 भा०दं०वि० के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियुक्त को दिनांक 29.09.2022 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल रायगढ़ भेज दिया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र है, उक्त आवेदन के अलावा उच्च न्यायालय बिलासपुर या उच्चतम न्यायालय में कोई भी आवेदन पेश नहीं किया गया है और न ही लंबित अथवा निराकृत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसके द्वारा कोई भी घटना कारित नहीं किया गया है तथा उसे इस प्रकरण में मात्र खानापूर्ति हेतु झूठा फंसाया

गया है, वह अपने परिवार का कमाउ सदस्य है जिसके उपर उसका परिवार आश्रित है यदि उसे अधिक दिनों तक जेल अभिरक्षा में रखा जाता तो उसके परिवार के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जायेगा। आवेदक/अभियुक्त गोकुलधाम तह व जिला–रायगढ (छ०ग०) का स्थाई निवासी है, ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने पर उसके फरार होने की संभावना नहीं है, आवेदक/अभियुक्त न्यायालय के सभी शर्तो एवं निर्देशों को मानने हेतु तत्पर है, अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया, अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का प्रबल विरोध करते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में उसकी बहन जया शर्मा के द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं थाना कोतवाली के द्वारा आरोपी के विरूद्ध जमानत विरोध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभिषेक अग्रवाल के द्वारा दिनांक 27–08–22 लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके नाम पर

बी श्रेणी ठेकेदारी लायसेंस है जिसका वह स्वतः प्रोपाइटर है वह विभिन्न शासकीय कार्यालयों में ठेके का कार्य करता है, कार्य में सहयोग हेतु रोहन शर्मा सहयोगी के रूप में रखा था, वह उसका विश्वास पात्र बन गया था। इलाहाबाद बैंक में करेंट एकाउन्ट क्रमांक 50507382980 है लोक निर्माण विभाग रायगढ से रोडोपाली से भालूमुडा 1.43 किमी तक का कार्य लिया था उसके संबंध में 17 लाख 94 हजार रु. का टीडीआर उपरोक्त बैंक से बनवाया था जिसका क्रमांक 0554192 था मूलप्रति लोक निर्माण विभाग रायगढ में जमा था जिसको प्रार्थी के जानकारी के बिना रोहन शर्मा ने धोखाधड़ी और विश्वासघात किया और फर्जी दस्तावेज के माध्यम से टीडीआर से भुना लिया और टीडीआर की राशि ब्याज सहित 19 लाख 9 हजार 218 रु में से 10 लाख रु. को दिनांक 07–06–22 को तथा उसी दिनांक को 9 लाख रु को उसके द्वारा आरोपी को दिए गए ब्लेक चेक में आरोपी द्वारा हस्ताक्षर कर अपने सांवरिया ट्रेडर्स के खाते में ट्रांसफर करा लिया गया। प्रार्थी के उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 406 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को दिनांक 29–09–22 को गिरफ्तारी कर न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है। तब से आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

केस डायरी का अवलोकन किया गया, अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभिषेक अग्रवाल के द्वारा दिनांक 27–08–22 को थाना कोतवाली

जिला–रायगढ में प्रस्तुत लिखित शिकायत के आधार पर आवेदक/आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 406 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को दिनांक 29–09–22 को थाना कोतवाली के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, तब से आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है । आरोपी के द्वारा प्रार्थी अभिषेक अग्रवाल का फर्जी हस्ताक्षर कर एवं उसके फर्म का का फर्जी सील बनवाकर उसके नाम से दिनांक 31–05–22 को 150 रूपये का ई–स्टाम्प खरीदकर उक्त स्टाम्प से फर्जी इनडेमिनिटी ब्रान्ड तैयार कर एवं उस पर प्रार्थी का फर्जी हस्ताक्षर कर उसे प्रार्थी के इंडियन बैंक रायगढ में प्रस्तुत किया गया था तथा उसके द्वारा कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग रायगढ, संभाग–रायगढ का फर्जी हस्ताक्षर कर तथा फर्जी सील बनवाकर दिनांक 31–05–22 को उसके नाम का फर्जी पत्र टी.डी.आर. रिलीज करने के संबंध में कुटरचना किया गया है और उसी फर्जी पत्र को बैंक में प्रस्तुत कर धोखाधड़ी करते हुए दिनांक 07–06–22 को टी.डी.आर. का ब्याज सहित राशि 19 लाख, 9 हजार, 218 रूपये में से 10 लाख रूपये को निकाल लिया गया है, जिसकी पुष्टि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपने इंडियन बैंक रायगढ के बैंक खाते से हो रहा है। आरोपी के विरूद्ध विवेचना ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है तथा आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है जिससे आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो उसके मनोबल में वृध्दि होने की प्रबल संभावना है। प्रकरण विवेचना स्तर पर है। आरोपी बी

कॉम तक पढ़ा–लिखा व्यक्ति है इसके बावजूद दस्तावेजों में कूट रचना करते हुए प्रार्थी के प्रति छल कारित किए जाने के संबंध में केस डायरी में पर्याप्त साक्ष्य उपलबध है। **जिससे केस डायरी के उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक/आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होने के कारण आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–439 द०प्र०सं० निरस्त किया जाता है ।**

आदेश की एक प्रति केस डायरी के साथ संलग्न किया जाकर संबंधित थाने को वापस की जावे।

प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र पर कार्यवाही समाप्त।

जमानत प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

सही/–

(किरण कुमार जांगड़े)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

रायगढ (छ.ग.)